



कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226007
(नैक द्वारा ए++ ग्रेड प्रत्यायित)

संदर्भ संख्या : /सम्ब.अनु./2025

दिनांक :

सेवा में,

प्रबन्धक,

हीरालाल यादव कालेज ऑफ लॉ कालेज,

रामनगर, मलिहाबाद, लखनऊ।

महोदय,

कृपया स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत अस्थायी सहयुक्तता प्राप्त विधि (त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय) पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति प्रदान किये जाने विषयक अपने पत्र दिनांक 17.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विधि (त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय) पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या : आर/512/सम्ब.अनु./2024, दिनांक 13.07.2024 द्वारा सत्र 2025-26 से तीन एवं पाँच वर्षों हेतु प्रदत्त अस्थायी सहयुक्तता के क्रम में विधि (त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय) पाठ्यक्रमों में कमशः दो एवं एक सेक्शन (60 प्रति सीटों) सहित सत्र 2025-26 से प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। यह अनुमति बी0सी0आई0 के अनुमोदनाधीन है, अर्थात् बी0सी0आई0 की अनुमति होने पर ही प्रवेश अनुमति होंगे।

भवदीया

(डॉ० भावना मिश्रा)

कुलसचिव

संख्या : NF-11562-64

दिनांक : 02/07/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति को मा० कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. ✓ इंचार्ज, यू०डी०आर०सी०, ल०वि०वि०।
3. परीक्षा नियंत्रक, ल०वि०वि०।
4. गार्ड फाईल।

Amista

कुलसचिव